न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

पीठासीन अधिकारी – हेमराज गुर्जर (RAS)

मुकदमा न0 – 319 / 2021 दायर दिनांक 12.08.2021

सीसीएमएस आई0डी0 – 2021 / 371

रेखा गुसाईं उर्फ कल्लो आयु 28 साल पुत्री हरीबाबा गुसाईं जाति गुसाईं जाति गुसाईं निवासी खेरागढ वाली धर्मशाला कैलादेवी ग्राम कैलादेवी तहसील सपोटरा जिला करौली।

––सायला

बनाम

1. रामजीलाल पुत्र लौहरे जाति गुसाईं निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. प्रमेश गुंसाईं पुत्र रामजीलाल
3. महेश गुंसाईं पुत्र रामजीलाल
4. रमेश गुंसाईं पुत्र रामजीलाल
5. सरूपी गुंसाईं पत्नि रामजीलाल
6. गंगाराम मीना पुत्र वेशनलाल मीना

(क्रमांक 2 से 6) जाति गुंसाईं निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन जिला करौली

7. कमल मीना पुत्र मिश्रा आयु 60 साल जाति मीना निवासी रूंद का पुरा तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली।
8. मगन उर्फ मुन्ना मास्टर पुत्र जमनालाल आयु साल जाति मीना निवासी कालाखाना तहसील हिण्डौन सिटी।
9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार हिण्डौन सिटी।

––गैरसायलान–09

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितिः–1. श्री हरिवल्लभ [illegible] वकील सायलान

2. श्री पी.एल. गोयल वकील गैरसायलान

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurja
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि सायल द्वारा जरिये वकील दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत पेश किया है कि ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली में कृषि भूमि हाल खसरा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नम्बर 831 रकवा 0.24 हेक्टर, 832 रकबा 0.15 हेक्टर, 833 रकवा 0.11 हेक्टर, 848 रकवा 0.25 हेक्टर, 850 रकवा 0.26 हेक्टर, 851 रकवा 0.30 हेक्टर, 852 रकवा 0.49 हेक्टर, 852/1170 रकवा 0.34 हेक्टर, 853 रकवा 0.19 हेक्टर, 854 रकवा 0.32 हेक्टर, 857 रकवा 0.23 हेक्टर, 858 रकवा 0.17 हेक्टर, 859 रकवा 0.45 हेक्टर, 862 रकवा 0.30 हेक्टर, 864 रकवा 0.30 हेक्टर, 865 रकवा 0.35 हेक्टर, 866 रकवा 0.09 हेक्टर, 868 रकवा 0.32 हेक्टर, 869 रकवा 0.40 हेक्टर, 871 रकवा 0.25 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकवा 5.51 हेक्टर स्थित है जिसमे हरीबाबा गुंसाईद्वारा एक बोर भी लगवाया गया है। उक्त भूमि में 1/6 हिस्सा हरी उर्फ हरी गुंसाई पुत्र लौहडे जाति गुंसाई के नाम खातेदारी दर्ज है। सायला हरी बावा गुंसाई (हरी गुंसाई) की एक मात्र पुत्री है जो खेरागढ़ वाली धर्मशाला ग्राम कैलादेवी में रहती है। हरी गुंसाई का राशनकार्ड, सायला की गेस पास बुक, हरी गुंसाई का आधार कार्ड, सायला का मतदाता पहचान पत्र, सायला का आधार कार्ड, सायला का इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सबक्रियशन बाउचर, कैलादेवी की वोटर लिस्ट की प्रति बाद पत्र के साथ संलग्न है । जिसमे सायला की बल्दियत हरीबाबा गुंसाई दर्ज है।

गैरसायल रामजीलाल जिसका विवादित भूमि मद नम्बर 2 में दर्ज में 1/6 हिस्सा दर्ज है। गैरसायल रामजीलाल बहुत चालाक किस्म का व्यक्ति है और हरी बाबा गुंसाई सायला के पिता की दिनांक 13–12–2019 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त उसने गलत शपथ पत्र पेश कर मृत्यु के 5वें दिन ही बिना सायला को बताये हरी बाबा गुंसाई का मृत्यु प्रमाण पत्र सरपंच से मिलकर कूटरचित फर्जी बना लिया जिसमे सायला के पिता का नाम हरीराम दर्ज कर दिया व हरीराम गुंसाई की पत्नि का नाम सरूपी देवी दर्ज कर दिया जबकि सरूपी हरी बाबा गुंसाई की छोडी हुई पत्नि थी जो रामजीलाल गुंसाई के बैठकर उसकी पत्नि बन गई और यह रिकार्ड स्वंय रामजीलाल गुंसाई के बी.पी.एल. राशनकार्ड में दर्ज है।

रामजीलाल ने मद नम्बर 3 फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के बाद अपने पुत्र प्रमेश गैरसायल संख्या 2 को हरीबाबा गुंसाई का गैरसायल संख्या [illegible] से षडयन्त्र कर गलत तौर से गोद पुत्र बताकर फर्जी [illegible] हरी गुंसाई का पुत्र बनकर फर्जी राशनकार्ड बनवा लिया। जबकि सन् 2020 की वोटर लिस्ट पंचायत चुनाव निर्वाचन नामावली 2020 ग्राम कालाखाना ग्राम पंचायत पालनपुर जिला करौली वार्ड क्रमांक 8 निर्वाचन क्षेत्र 15 मे क्रमांक 344 पर प्रमेश पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

रामजीलाल आयु 43 साल दर्ज है । दूसरी तरफ सायला की वोटर लिस्ट कैलादेवी एंव समस्त दस्तावेजो मे हरी बाबा गुंसाई की एक मात्र पुत्री होना दर्ज है।

गैरसायल संख्या 1 लगायत 8 सायला को उसके पिता की विवादित भूमि से षडयन्त्र कर, फर्जी दस्तावेज बनाकर खातेदारी की भूमि से महरूम करने पर आमादा है।

दिनांक 24–7–2021 को सायला अपने 1/6 हिस्से मे बाजरा के लिये बरसात होने पर जोत कराने गई तो गैरसायलान संख्या 1 लगायत 8 एक राय होकर मारने को आमादा हो गये और जुताई नही करने दी और धमकी दी कि जैसे हमने दिनांक 3–12–2020 को हरी बाबा गुंगाई की बोहरगत की समस्त बही, कागजात पुलिस को गुमराह कर ले लिये उसी प्रकार खातेदारी भी हमारे नाम करा लेंगे और तुम दुबारा जमीन पर काश्त करने आयी तो तुमको भी जान से मार देंगे। इस कारण सायला की गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र टी. आई पेश करने की नौबत पैदा हुई। सायला को मद नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में हरी उर्फ हरी गुंसाई की जगह सायला को 1/6 हिस्से की खातेदार घोषित कर गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे सायला के 1/6 हिस्से मे उपयोग उपभोग में बाधा अडचन पैदा नहीं करें एंव रहन वय नही करने के लिये पाबन्द नहीं किया गया तो सायला को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में किया जाना संभव नही है।

प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान संख्या 1 लगायत 8 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे ताफैसला दावा भूमि हाल खसरा नम्बर 831 रकबा 0.24 हेक्टर, 832 रकवा 0.15 हेक्टर, 833 रकबा 0.11 हेक्टर, 848 रकवा 0.25 हेक्टर, 850 रकबा 0.26 हेक्टर. 851 रकवा 0.30 हेक्टर, 852 रकवा 0.49 हेक्टर, 852/1170 रकवा 0.34 हेक्टर, 853 रकवा 0.19 हेक्टर, 854 रकबा 0.32 हेक्टर, 857 रकबा 0.23 हेक्टर, 858 रकबा 0.17 हेक्टर, 859 रकवा 0.45 हेक्टर, 862 रकवा 0.30 हेक्टर, 864 रकवा 0.30 हेक्टर, 865 रकवा 0.35 हेक्टर, 866 रकवा 0.09 हेक्टर, 868 रकबा 0.32 हेक्टर, 869 रकवा 0.40 हेक्टर, 8[illegible] 0.25 हेक्टर कुल किता 20 कुल रकवा 5.51 हेक्टर ग्राम [illegible] सिटी जिला करौली के सायला के उपयोग उपभोग [illegible] बाधा अडचन पैदा नही करे न अन्य से करावे व किसी भी तरह रहन वय या हस्तान्तरित

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

नही करे एंव गैरसायल नम्बर 9 को पाबन्द फरमाया जावे कि वह ताफैसला दावा उक्त आराजीयात से सम्बन्धित मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत रखे ।

सायलान के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। सायल न0 1 ता 7 की ओर से श्री पी एल गोयल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जबाब पेश किया जो निम्नानुसार हैः–

1. सायला द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा पेश करना सही है. लेकिन सायला की उक्त दावे में सफलता मिलने की लेशमात्र भी गुंजाइश नहीं है. सायला ने दावा व प्रार्थना पत्र हाजा के टाइटल में प्रतिवादी/ गैरसायल नम्बर 02 की वल्दियत बिल्कुल गलत दर्ज की है तथा प्रतिवादी / गैरसायल नम्बर 05 के पति का नाम भी बिल्कुल गलत दर्ज किया है। दावा/प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा बिल्कुल गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर विधि विरुद्ध दायर किये हैं, जो खारिज होने योग्य है।
2. प्रार्थना पत्र के मद नम्बर 02 में दर्ज आराजीयात कुल किता 20 कुल रकवा 5.51 है० स्थित ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन होना सही है तथा उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा हरी पुत्र लौहडे, जाति गुसाई के नाम खातेदारी दर्ज होना सही है। सायला हरी गुंसाई की कोई पुत्री नहीं है. बल्कि सायला रखा गुंसाई उर्फ कल्लो पून्या की लड़की है. जिसके बाल्यकाल में ही उसके पिता पून्या का स्वर्गवास हो गया तथा सायला की मां शांति कैलादेवी में खेरागढ़ वाली धर्मशाला के गेट के सामने बनी दुकान में प्रसाद व चढ़ावे के सामान के विक्रय की दुकान करती थी तथा सायला भी उक्त धर्मशाला के सामने रोड पर चूडी, सिंदूर विक्रय की फुटपाथी दुकान लगाकर धंधा करती थी तथा सावला के द्वारा बिल्कुल फर्जी तौर पर हरी गुंसाई की पुत्री यो दस्तावेज फार्जी तरीके से तैयार कर बिल्कुल फर्जी तौर पर अपनी वल्दियत हरी गुंसाई दर्ज कराकर उक्त प्रार्थना पत्र / दावा हरी गुसाई की सम्पत्ति की हडपने उद्देश्य से दायर किया है. जो खारिज किये जाने योग्य है।
3. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 03 जिस प्रकार [illegible] है व अस्वीकार है। गैरसायल रामजीलाल जिसका [illegible] 02 प्रार्थना पत्र में 17 हिस्से का खातार काश्तकार है, वह कोई चालाक व बेईमान किस्म का व्यक्ति नहीं है और ना ही गाना लाई सरला का कोई उसका पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पून्या रहा है तथा हरी बाबा की दिनांक 13.12.2019 को मृत्यु हो जाने के उपरान्त रामजीलाल ने कोई गलत शपथ पत्र पेश कर मृत्यु के पांचवें दिन हरी बाबा गुंसाई का मृत्यु प्रमाण पत्र सरपंच से मिलकर फर्जी तरीके से कूटरचित नहीं बनवाया और जब सायला का कोई पिता हरीराम या हरी बाबा था ही नहीं तो रामजीलाल द्वारा हरीराम का मृत्यु प्रमाण पत्र कूटरचित बनवाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। हरीराम के मृत्यु प्रमाण पत्र में सरूपी देवी उसकी पत्नी गलत रूप से दर्ज नहीं की गयी, जबकि सरूपी स्वयं सायला के अनुसार उसकी पत्नी रही है तथा सरूपी हरिराम की कोई छोड़ी हुई पत्नी नहीं थी और ना ही सरूपी कोई रामजीलाल गुंसाई के बैठकर उसकी पत्नी बनीं, बल्कि सरूपी के आधार कार्ड व मतदाता पहचान पत्र में उसके पति का नाम स्पष्ट रूप से हरीराम दर्ज है। सायला के द्वारा बिल्कुल गलत व फर्जी तरीके से पून्या की लड़की होते हुए [illegible] हरी बाबा गुंसाई की सम्पति को हड़पने के उद्देश्य से उसकी [illegible] बिल्कुल गलत दावा/प्रार्थना पत्र दायर किये हैं, जो खारिज कि[illegible] है।

4. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 04 जिस प्रकार [illegible] किया गया है, गलत है व अस्वीकार है। रामजीलाल ने कोई फर्जी [illegible] प्रमाण पत्र हरीराम गुंसाई का नहीं लिया और ना ही उसके बाद अपने [illegible] पुत्र प्रमेश गैरसायल संख्या 02 को हरी बाबा गुंसाई का गैरसायल संख्या [illegible] ता 08 से षडयन्त्र कर गलत तौर से गोदपुत्र बनाकर कोई फर्जी राशनकार्ड बनवाया। निर्वाचक नामावली 2020 ग्राम कालाखाना में प्रमेश कोई पुत्र रामजीलाल दर्ज नहीं है, बल्कि प्रमेश के समस्त दस्तावेजात जिनमें जॉब कार्ड हरी गुंसाई ग्राम कालाखाना पंचायत पालनपुर में प्रमेश, हरी का पुत्र दर्ज है तथा प्रमेश के पेनकार्ड, आधार कार्ड व परिवार राशन कार्ड तथा भामाशाह कार्ड सभी में उसकी वल्दियत हरी गुंसाई दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि प्रमेश मृतक हरी गुंसाई का पुत्र है तथा सायला ने अपने को फर्जी व विधि विरुद्ध तरीके से हरी गुंसाई की पुत्री बनकर दस्तावेज तैयार कराये हैं, जिनका कानूनन कोई महत्व नहीं है, इस सम्बंध में थाना कैलादेवी ने एफआईआर संख्या 16/2018 में कस्बा कैलादेवी में खेरागढ़ वाली धर्मशाला के पास पेशाबघर के गेट पर प्लास्टिक के कट्टे व रजाई की खोली में अज्ञात महिला की लाश मिलने पर उक्त पुलिस कार्यवाही में सायला जो कि उक्त धर्मशाला के आगे सिंदूर, बिन्दी आदि सामान विक्रय करने का रोड पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

फुटपाथिया दुकान करती थी, उसके बयान थाना कैलादेवी द्वारा उक्त प्रकरण में लिये गये। उक्त प्रकरण में हरी बाबा मुल्जिम रहा है तथा पुलिस बयानों में सायला के द्वारा स्वयं को पून्या व शांति देवी की लडकी होना बताया है तथा इस सम्बंध में न्यायालय जिला एवं सैशन न्यायाधीश करौली के यहां चले प्रकरण सरकार बनाम प्रकाश मुकदमा नम्बर 34/2018 में वादिया के पीडब्ल्यू–29 के तौर पर बयान हुए, उसमें भी सायला ने अपनी मां नाम शांति व पिता का नाम पून्या बताया है। इससे स्पष्ट है कि सायला ने स्वत को फर्जी तौर पर हरी बाबा उर्फ हरीरान की सम्पत्ति को हड़पने की गरज से फर्जी तौर पर स्वयं को उसकी पुत्री बताकर व फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर उक्त प्रार्थना पत्र दायर किया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 05 गलत व अस्वीकार है। सायला हरीराम उर्फ हरी गुंसाई की कोई लड़की है ही नहीं तो हरी गुंसाई की सम्पत्ति से उसका कोई सम्बंध या वारता होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही गैरसायल नम्बर 01 लगायत 08 द्वारा ऐसी किसी प्रकार से षड्यन्त्र कर फर्जी दस्तावेज बनाकर महरूम करने का प्रयास किया है बल्कि गैरसायल नम्बर 02 हरीराम उर्फ हरी बाबा का पुत्र है जो उसकी सम्पत्ति पर उसकी मृत्यु के उपरान्त काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा इसके अतिरिक्त सायला के पिता पून्या ने श्रीमान एस.डी.एम. साहब करौली के यहां एक दावा/प्रार्थना पत्र उनवानी पून्या बनाम दकतान घोषणा खातेदारी व तकास्मा हेतु दायर किया गया, जिसमें गैरसायल नम्बर 01 के पिता हरि पुत्र लौहडे द्वारा शपथ पत्र दिया गया, जिसमें भी कल्लो उर्फ रेखा अर्थात सायला को पून्या की पुत्री बताया है तथा उक्त भूमि को हड़पने के उद्देश्य से सायला ने गैरसायलान के विरुद्ध एक एफआईआर नम्बरी 508/2021 थाना सदर हिण्डौन पर उक्त भूमि के सम्बंध म जरिये इस्तगासा दर्ज करायी, जिसमें भी बाद जांच पुलिस थाना सदर हिण्डौन ने एफआर नम्बरी 164/2021 न्यायालय हाजा में पेश की और अपनी एफआर में पुलिस थाना हिण्डौन ने सम्पूर्ण जांच के उपरान्त यह स्पष्ट रूप से माना कि मुस्तगीसा/सायला ने हरिबाबा के कैलादेवी वोटरलिस्ट में नाम लिखा दिया व कैलादेवी सरपंच से सम्पर्क कर हरिबाबा के राशनकार्ड में अपना नाम लिखा दिया और उसे फर्जी राशन कार्ड आधार पर गैर कनेक्शन लिया और फर्जी रूप से रेखा उर्फ कल्ली हरिबाबा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

की लड़की बन गयी। जबकि सायला स्वयं शामीशुदा है और उसने राशनकार्ड अपने पति का नाम नहीं लिखाया, बल्कि उस स्थान पर फर्जी तरीके से हरिचाबा का मत्तीर पिता नाम लिखा दिया। हरिबाबा की प्रोपटी में हिस्सा लेने की गरज से और प्रमेश आदि पर दबाव बनाने की दृष्टि से कानूनी सलाह से उक्त रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। इससे स्पष्ट है कि सायला का विवादित जमीन से कोई पास्ता व कब्जा किसी प्रकार का नहीं है व फर्जी दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को फर्जी तरीके से हरिबाबा की पुत्री बताकर विवादित भूमि को हडपना चाहती है, जबकि उक्त भूमि पर उसका कभी कोई कब्जा किसी प्रकार का नहीं रहा, बल्कि गैरसायल नम्बर 01 भूमि पर काबिज व दखील है। प्रार्थना पत्र सायला कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 06 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 24.07.2021 को सायला किसी 1/6 हिस्से [illegible] लिये बरसात होने पर जोत कराने नहीं गयी और ना ही गैरमायल [illegible] एकराय होकर मारने को आमादा हुए और ना उन्होंने [illegible] ना ही उक्त मद में वर्णित कोई तथ्य सायला से कहे, बल्कि हरीराम उर्फ हरी गुसाईं के जीवनकाल से ही उसकी वृद्धावस्था व काश्त हेतु शारीरिक सामर्थ्य न होने से उसका पुत्र गैरसायल नम्बर 02 उक्त भूमि पर काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है। जब सायला का विवादित जमीन पर कोई कब्जाकाश्त है ही नहीं तो उसका उक्त दिनांक को विवादित भूमि पर बाजरे के लिये जोत लगाने हेतु आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दावा / प्रार्थना पत्र सायला बिल्कुल झूठे, मनगढ़न्त तथ्यों एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हरीराम उर्फ हरी गुसाई की भूमि को हड़पने की गरज से झूठे दायर किये है जो खारिज किये जाने योग्य है।

7. प्रार्थना पत्र का गद नम्बर 07 गलत है अस्वीकार है। हरीराम उर्फ हरी गुंसाई की सम्पत्ति से जब सायला का कोई वास्ता नहीं है और ना ही सायला उसकी कोई पुत्री है तो उसके 1/6 हिस्से का साथला को खातेदार काश्तकार घोषित करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और ना ही गैरसायलान को उक्त हिस्से से पावन्त करने का प्रश्न पैदा होता है, बल्कि मुताबिक कानूनन गैरसायल नम्बर 02 हरीराम उर्फ हरी गुंसाई का पुत्र है. इस कारण उसकी आराजी का एकमात्र हकदार व खातेदार गैरसायल नम्बर 02 है तथा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

गैरसायल नम्बर 02 ही विवादित आराजी हिस्सा 1/6 पर काबिज व दखील होकर काश्त करता चला आ रहा है. इसलिये उक्त आराजी से उसे पाबन्द करने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। सायला को जब कोई क्षति किसी प्रकार की है ही नहीं तो उसकी क्षतिपूर्ति का भी प्रश्न पैदा नहीं होता, बल्कि पाबन्द करने से गैरसायलान को अत्यंत क्षति होगी। प्रार्थना पत्र सायला कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

8. सायला के हक में कोई प्रथम दृष्ट्या केस साबित नहीं है. प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है।

9. सायला के पक्ष में कोई सुविधा का संतुलन नहीं है, बल्कि सायला फर्जी दस्तावेज के आधार पर गैरसायल नम्बर 02 के पिता हरीराम उर्फ हरी गुंसाई की भूमि को हड़पने के लिये फर्जी दस्तावेज उसकी पुत्री बनके तैयार कर उक्त भूमि की हडपने उद्देश्य [illegible] पत्र व दावा न्यायालय के सभक्ष तथ्यों का छिपाते हुए [illegible] किये हैं, जो खारिज किये जाने योग्य है।

10. प्रार्थना पत्र का मद नम्बर 10 गलत है व अस्वीकार है। सायला का विवादित भूमि व हरीराम उर्फ हरी गुंसाई से जब कोई वास्ता है ही नहीं तो उसे अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता बल्कि हरीराम उर्फ हरी गुंसाई गैरसायल नम्बर 02 का पिता होने से उक्त भूमि के सम्बंध में उसे पाबन्द करने पर अत्यधिक क्षति है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायला खारिज किये जाने योग्य है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

सायल ने अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिए अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबन्दी बन्दी संवत 2070–73, मृत्यु प्रमाण पत्र हरिराम, राशन कार्ड रामजीलाल गुंसाई, राशन कार्ड प्रमेश गुंसाई, फोटो कॉपी पंचायत चुनाव निर्वाचक नामावली 2020 प्रमेश पुत्र रामजीलाल की प्रति, परिवाद रिपोर्ट सदर थाना कैलादेवी किता 4 पेज दिनांक 03.12.2020, फोटो प्रति पंचनामा पेश किये गैरसायलान ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र को साबित करने के लिये अपने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में फोटो प्रति नकल शांति बगै0 बनाम संतो बगै0 न्यायालय एडीएलबी भरतपुर अपील, फोटो प्रति नकल आदेश दिनांक 04.07.2011 न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

भरतपुर, फोटो प्रति वकालतनामा शांति बगै0 भरतपुर, फोटो प्रति वकालतनामा संतो बगै0 भरतपुर, फोटो प्रति नकल अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर, फोटो प्रति नकल अपील आदेश 24.08.2021 न्याय. संभागीय आयुक्त भरतपुर, फोटो कॉपी आदेश रेवेन्यु बोर्ड अजमेर दिनांक 20.11.2012 आदेश,फोटोप्रति संशोधित वाद पत्र एडीएम करौली पुन्या बनाम दक्खों, फोटो प्रति शपथ पत्र पून्या बनाम दक्खों न्यायालय एसीइएम करौली, फोटो प्रति चार्जशीट आरआरआर 16/18 थाना कैलादेवी, फोटोकॉपी बयान गवाह रेखा डीजे कोर्ट करौली, फोटो प्रति एफआईआर 508/21 थाना सदर हिण्डौन, फोटो प्रति नकल गंगाजी पंडा, फोटो प्रति उत्तराधिकार प्रमेश पेश किये हैं।

प्रकरण में उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई सायल वकील ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दौहराते हुंए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया एवं गैरसायलान वकील द्वारा दौराने बहस अपने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष वकील की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया गया कि दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी 2070-73 खाता संख्या 128 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन के सायल खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। सायल द्वारा अपने वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में गैरसायलान द्वारा विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे सायलान अपने वाद पत्र के तथ्यो के संबध में वाद में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक बहस में साबित करने में असफल रहा है। जबकि गैरसायलान ने अपने वादपत्र को साबित करने में न्यायालय जिला एवं न्यायाधीश करौली का गैरसायलान नं0 2 व 5 तथा पत्तो पुत्री हरि के हक में हरि गुसांई मृतक का वारिस मानते हुए उनके हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कर मृतक द्वारा छोडी गई [illegible] और उनके हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी किया [illegible] स्वयं को हरि गुसांई उर्फ हरिबाबा को अपना पिता [illegible] में उसकी खातेदारी की भूमि को विरासत की बताकर क्लेम [illegible] जबकि पूर्व में थाना कैलादेवी में दर्ज हुई एफआईआर 16/18 में धारा 302, 397, 201, 376 भारतीय दण्ड संहिता में हरि पुत्र लोहरे व अन्य लोगों के विरूद्ध माननीय न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपर जिला एवं सेसन न्यायाधीश करौली में चालान पेश होकर मुकदमा सरकार बनाम ओमप्रकाश नम्बरी 34/18 दर्ज हुआ जिसमें स्वयं सायला गवाह रही और उसके उक्त न्यायालय में बतौर गवाह पीडब्लू–29 बयान लेखबद्ध हुऐ जिसमें स्वयं सायला ने अपनी मा का नाम शांति व पिता कानाम पून्या अंकित कराया जो स्वयं सायला का एडमिशन है जिससे स्पष्ट होता है कि सायल का पिता हरि गुसांई न होकर पून्याराम है, हरि गुसांई की विवादित सम्पत्ति के संबंध में सायला द्वारा एक एफआईआर नम्बरी 508/21 थाना सदर हिण्डौन में गैरसायलान के विरूद्ध दर्ज कराई जिसमें पुलिस थाना सदर हिण्डौन द्वारा उक्त एफआईआर को झूंठी मानते हुए सायला द्वारा हरिबाबू की प्रोपर्टी में हिस्सा लेने की गरज से और गैरसायलान पर दबाव बनाने की गरज से झूठें तथ्यों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बाद जॉच थाना सदर हिण्डौन ने प्रकरण में एफआर न्यायालय एसीजेएम हिण्डौन में पेश किया। इसलिए प्रकरण में उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। ऐसे हालात में सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान अस्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायल का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है । खसरा न0 831, 832, 833, 848, 850, 851, 852, 852/1170, 853, 854, 857, 858, 859, 862, 864, 865, 866, 868, 869, 871 वाके ग्राम कालाखाना तहसील हिण्डौन में रिकॉर्ड की यथास्थिति के संबंध में दिनांक 12.08.2021 को जारी अंतरिम स्थगन आदे[illegible] किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील [illegible] दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 26/5/25 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.07.01 19:13:00 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)